न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 35 सन 2019
अनवान :–

1. लालचन्द 2 जयलाल 3 मालचन्द 4. गंगाराम पि0 सुखाराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– मांगीलाल देहडु अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 18/02/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 120 के खसरा न0 353 ,385 ,386 ,405 ,410/2 की 24.152हैक बारानी प्रथम भूमि में लालचन्द वल्द जयलाल , मालचन्द मामराज पि0 सुखणा जाति सांणी बहिब 100 हिस्सा साकिन देह खातेदार काश्तकार दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2061–64 के खाता संख्या 148 में लालचन्द पुत्र जयलाल , मालचन्द गंगाराम पि0 सुखराम 100 हिस्सा दर्ज है उक्त गलती सहवन से नामान्तकरण दर्ज करते समय हुई है सायलान के आधार कार्ड में नाम लालचन्द पुत्र सुंखाराम , जयलाल पुत्र सुखाराम , मालचन्द पुत्र सुखराम व गंगाराम वल्द सुखराम दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से सायलान के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायलान को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाऐं जैसे केसीसी , खाद– बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य सुविधाये प्राप्त नही हो पा रही है इसलिये सायलान अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने के अधिकारी है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 120 के खसरा न0 353 ,385 ,386 ,405 ,410/2 की 24.152हैक में से 100 हिस्सा में लालचन्द वल्द जयलाल , मालचन्द मामराज पि0 सुखणा के स्थान पर लालचन्द , जयलाल , मालचन्द , गंगाराम पि0 सुखराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा संशोधन करने के आदेश फरमावे।

सायलान को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की वर्तमान राजस्व रिकार्ड रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 120 के खसरा न0 353 ,385 ,386 ,405 ,410/2 की 24.152हैक बारानी प्रथम भूमि में लालचन्द वल्द जयलाल , मालचन्द मामराज पि0 सुखणा जाति सांणी बहिब 100 हिस्सा साकिन देह खातेदार काश्तकार दर्ज है किन्तु प्रस्तुत दस्तावेजात में एवं सरपंच ग्राम पंचायत की रिपोर्ट अनुसार लालचन्द , जयलाल , मालचन्द , गंगाराम पि0 सुखराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा एवं अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है सहवन से राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन हुआ है साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावें जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील सायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 120 के खसरा न0 353 ,385 ,386 ,405 ,410/2 की 24.152हैक बारानी प्रथम भूमि में लालचन्द वल्द जयलाल , मालचन्द मामराज पि0 सुखणा जाति सांणी बहिब 100 हिस्सा साकिन देह खातेदार काश्तकार दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

जमाबन्दी सम्वत 2061–64 के खाता संख्या 148 में लालचन्द पुत्र जयलाल , मालचन्द गंगाराम पि0 सुखराम 100 हिस्सा दर्ज है उक्त गलती सहवन से नामान्तकरण दर्ज करते समय हुई है सायलान के आधार कार्ड में नाम लालचन्द पुत्र सुंखाराम , जयलाल पुत्र सुखाराम , मालचन्द पुत्र सुखराम व गंगाराम वल्द सुखराम दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से सायलान के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है सायलान को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाऐं जैसे केसीसी , खाद– बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य सुविधाये प्राप्त नही हो पा रही है इसलिये सायलान अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने के अधिकारी है प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब /रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की राजस्व रिकार्ड रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 120 के खसरा न0 353 ,385 ,386 ,405 ,410/2 की 24.152हैक बारानी प्रथम भूमि में लालचन्द वल्द जयलाल , मालचन्द मामराज पि0 सुखणा जाति सांणी बहिब 100 हिस्सा साकिन देह खातेदार काश्तकार दर्ज है किन्तु प्रस्तुत दस्तावेजात में एवं सरपंच ग्राम पंचायत की रिपोर्ट अनुसार लालचन्द , जयलाल , मालचन्द , गंगाराम पि0 सुखराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा एवं अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है सहवन से राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन हुआ है साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वर्तमान जमाबन्दी रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 120 के खसरा न0 353 ,385 ,386 ,405 ,410/2 की 24.152हैक बारानी प्रथम भूमि में लालचन्द वल्द जयलाल , मालचन्द मामराज पि0 सुखणा जाति सांणी बहिब 100 हिस्सा साकिन देह खातेदार काश्तकार दर्ज है

सायलान के द्वारा प्रस्तुत बेयनामा में लालचन्द, जयलाल , मालचन्द, गांगराम पि0 सुखराम जाति सांसी साकिन चैनपुरा दर्ज है बैयनामा के अनुसार ही वाद भूमि सायलान के द्वारा खरीद की गई है राजस्व रिकार्ड में बैयनामा के अनुसार अंकन करने के समय सहवन से सायलान के नाम गलत तौर से दर्ज हुऐ है

सरंपच ग्राम पंचायत लाखासर के अनुसार भी सायलान के सही नाम लालचन्द जयलाल मालचन्द गंगाराम पुत्रगण सुखाराम है सायलान स्वय के द्वारा भी अपने नाम के सम्बध में शपथ पत्र पेश किया गया है एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार भी सायलान का नाम उक्तानुसार ही होना पाया जाता है सायलान अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने के अधिकारी है।

अतः प्रस्तुत दस्तावेजात /बैयानामा एवं संरपच ग्राम पचायत के प्रमाण पत्र एव तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 120 के खसरा न0 353 ,385 ,386 ,405 ,410/2 की 24.152हैक में से 100 हिस्सा में लालचन्द वल्द जयलाल , मालचन्द मामराज पि0 सुखणा के स्थान पर लालचन्द , जयलाल , मालचन्द , मामराज उर्फ गंगाराम पि0 सुखराम जाति सांसी निवासी चैनपुरा संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/2/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्थान)
नोहर (हनुमानगढ)